5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित

5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(68)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

समक्ष श्री एस.एस.अली

प्रकरण क्र.– एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/2176

पुनर्विलोकन/5664/2018/जबलपुर/भू.रा.

पुनर्विलोकनकर्ता – श्री तुलसीराम आत्मज स्व. छोटेलाल ब्राम्हण उम्र लगभग 71 वर्ष निवासी– ग्राम पिंडरई, तह. शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र., हाल निवास– ग्राम घाना, पोस्ट सोनपुर, तह. पनागर जिला जबलपुर म.प्र.

श्री सुनील सिंह ..... द्वारा आज दि० 14-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-9-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

गैरपुनर्विलोकनकर्ता – श्री सुरेन्द्र कुमार पिता स्व. कढ़ोरीलाल पचौरी उम्र लगभग 71 वर्ष निवासी– ग्राम पिंडरई, तह. शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र.

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुर्नविलोकनकर्ता माननीय न्यायालय के प्रकरण क्र.– एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/2176 में पारित आदेश दिनांक 5/09/2018 से परिवेदित होकर पुनर्विलोकन करने की प्रार्थना करते हुये निम्नलिखित विधिक तथ्यों व आधारों पर पुर्नविलोकन सादर प्रस्तुत करता है :–

तथ्य

1– यह कि पुर्नविलोकनकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि साविक खसरा नंबर 38, 39/2, 40/3, 44/28, 44/29 हाल खसरा नंबर 38 व 39 रकवा लगभग 20.35 एकड़ मौजा पिंडरई, प.ह.नं. 38 पुराना 39 रा.नि.मं. पिपरियाकलां तह. शहपुरा (पाटन) जिला जबलपुर म.प्र.स्थित है जो उसे पूर्व भूमि स्वामी विश्वनाथ वल्द सुखदेव प्रसाद के द्वारा पट्टे पर 6 वर्ष के लिये वर्ष 1968–69 में दी थी और दिनांक 27/9/1974 को पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा धारा 190 भूमि 'स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय अ.वि.अ.पाटन के रा.प्र.क्र. 4/अ–32/1973–74 के आदेश दिनांक 26/11/1974 के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही में नायब तहसीलदार वृत्त पिपरियाकलां तह. पाटन के रा.प्र.क्र.13/अ–46/1974–75 के आदेश दिनांक 28/02/1975/ 05/3/1975 के अनुसार भूमि स्वामी हक दर्ज किये गये, इन प्रकरणों व सीलिंग एक्ट-1960

तुलसीराम

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक पुर्नावलोकन/5664/2018/जबलपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/जबलपुर/भूरा/2017/2176 में पारित आदेश दिनांक 5.9.18 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक पुर्नावलोकन/5664/2018/जबलपुर/भूरा के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/जबलपुर/भूरा/2017/2176 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.09.18 से किया जा चुका है।	

4–प्रकरण कमांपुर्नावलोकन/5664/2018/जबलपुर/भूरा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।

प्रकरणकमांक पुर्नावलोकन/5664/2018/जबलपुर/भूरा उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य